भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
और
अदानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
के बीच
सीएनएस/एटीएम समझौता

(यह सीएनएस/एटीएम समझौता

दिनांक 14.02.2020 के सीएनएस रियायत समझौते का एक अभिन्न भाग है)

अनुसूची-क्यू

संचार, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन समझौता

(खंड 20.2.1 देखें)

विषय सूची

अनुच्छेद / अनुसूची	**विवरण**	**पृष्ठ सं.**
अनुच्छेद 1	परिभाषाएं और व्याख्या	2
अनुच्छेद 2	वैधता और अवधि	4
अनुच्छेद 3	अभ्यावेदन और वारंटी	5
अनुच्छेद 4	प्राधिकरण के दायित्व	5
अनुच्छेद 5	रियायतग्राही (कन्सेशनर) के दायित्व	7
अनुच्छेद 6	सुविधाओं और उपकरणों का विकास और विस्तार	8
अनुच्छेद 7	संयुक्त समन्वय समिति	11
अनुच्छेद 8	राजस्व और शुल्क	11
अनुच्छेद 9	क्षतिपूर्ति	12
अनुच्छेद 10	उत्तरदायित्व	12
अनुच्छेद 11	अप्रत्याशित घटना (फ़ोर्स मेज्योर)	12
अनुच्छेद 12	समाप्ति	14
अनुच्छेद 13	हस्तांतरण (असाइनमेंट)	15
अनुच्छेद 14	विवाद निवारण	16
अनुच्छेद 15	बीमा	17
अनुच्छेद 16	नोटिस	17
अनुच्छेद 17	माना गया सुपुर्दगी (डीम्ड डिलीवरी)	18
अनुच्छेद 18	विविध	18
अनुच्छेद 19	शासी कानून (गवर्निंग लॉ)	20
अनुच्छेद 20	भाविप्रा (AAI) द्वारा प्रतिज्ञाएं	20

अनुच्छेद / अनुसूची	विवरण	पृष्ठ सं.
अनुसूची 1	भाविप्रा (AAI) उपकरण और रियायतग्राही उपकरण	22
अनुसूची 2	संचार, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन सेवाएं	23
अनुसूची 3	कार्यालय और सुविधाएं	24
अनुसूची 4	अलग रखे गए क्षेत्र (कार्व्ड आउट एरिया)	25
अनुसूची 5	मौजूदा उपकरणों की सूची	26
अनुसूची 6	हवाईअड्डे पर संचार, दिक्चालन , निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन उपकरणों का भावी रोडमैप	27

चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर संचार, दिक्चालन, निगरानी/ वायु यातायात प्रबंधन सेवाओं के प्रावधान के लिए यह समझौता (यह "**समझौता**") आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 को नई दिल्ली में निष्पादित किया गया है;

निम्नलिखित द्वारा और इनकी बीच निष्पादित:

1. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (जिसे "**अधिनियम**" कहा गया है) के तहत स्थापित है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और जिसका मुख्य कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110 003, भारत में स्थित है (जिन्हें आगे "**प्राधिकरण**" या "**भाविप्रा**" (AAI) कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, इसके प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती (असाइनी) शामिल होंगे) प्रथम पक्ष;

और

2. **अदाणी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**, जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय अदाणी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, एस जी हाईवे, अहमदाबाद - 382421, गुजरात, भारत में स्थित है (जिन्हें आगे "**रियायतग्राही**" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशिती एवं स्थानापन्न शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष।

अभिव्यक्ति "**भाविप्रा**" और "**रियायतग्राही**" का, जहाँ भी संदर्भ की आवश्यकता हो, अर्थ और समावेश उनके संबंधित हित-उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशिती होंगे और उन्हें सामूहिक रूप से "**पक्षकार**" और व्यक्तिगत रूप से "**पक्ष**" कहा जाएगा।

जबकि:

क. रियायतग्राही ने उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौता *(जैसा कि नीचे परिभाषित है)* किया है।

ख. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अनुसार, भाविप्रा भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर और भारत के सभी नागरिक हवाईअड्डों पर वायु यातायात सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

ग. उपरोक्त अधिनियम के अनुसार, भाविप्रा इस समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों पर हवाईअड्डे *(जैसा कि नीचे परिभाषित है)* पर सेवाएं प्रदान करेगा।

अब, इसलिए, पूर्वगामी और इस समझौते में निर्धारित संबंधित प्रतिज्ञाओं और समझौतों के विचारार्थ, जिसकी प्राप्ति और पर्याप्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, और कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं इस समझौते में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

"**भाविप्रा विकास उपकरण**" (AAI Development Equipment) का अर्थ वही है जो खंड 6.4 में निर्धारित किया गया है;

"**भाविप्रा उपकरण**" का अर्थ रियायतग्राही उपकरण के अलावा वे सभी उपकरण और सुविधाएं हैं, जो भाविप्रा द्वारा इस समझौते और प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों के अनुसार भाविप्रा सेवाओं को निष्पादित करने के लिए आवश्यक हैं, और जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता हो, इसमें भाविप्रा विकास उपकरण शामिल होंगे;

"**भाविप्रा सेवाएं**" का अर्थ इस समझौते के तहत प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं जैसा कि खंड 4.1 में निर्धारित किया गया है;

"**ऐरा**" का अर्थ ऐरा अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण है, और इसमें लागू कानूनों के अनुसार कोई भी उत्तराधिकारी संस्था शामिल होगी;

"**प्रभावित पक्ष**" का अर्थ वही होगा जो इसे खंड 11.1 में दिया गया है;

"**संबद्ध संस्था**" का अर्थ वही होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;

"**एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम**" का अर्थ हवाईअड्डे पर प्रकाश व्यवस्था से है, जिसमें रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच के संबंध में वे लाइटिंग शामिल हैं, जो प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों के अनुसार प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक हैं;

"**हवाई अड्डा**" का अर्थ वही होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;

"**सीओडी**" (वाणिज्यिक संचालन तिथि) का अर्थ वही होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;

"**शिकागो कन्वेंशन**" का अर्थ वही होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;

"**संचालन, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन शुल्क**" का अर्थ वही होगा जो खंड 8.1 में निर्धारित किया गया है;

"**संचालन, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन उपकरण**" का अर्थ इन सेवाओं के संचालन के लिए भाविप्रा द्वारा आवश्यक सभी उपकरण और सुविधाएं हैं और इसमें रियायतग्राही उपकरण और भाविप्रा उपकरण शामिल हैं;

"**संचालन, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन सेवाएं**" का अर्थ हवाईअड्डे पर भाविप्रा द्वारा प्रदान की जाने वाली संचार, दिक्चालन और निगरानी, और वायु यातायात प्रबंधन सेवाएं हैं, जैसा कि इस समझौते और अनुसूची 2 में अधिक विशेष रूप से वर्णित है;

"**रियायत समझौता**" का अर्थ प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच 14.02.2020 को किया गया रियायत समझौता है;

"**रियायतग्राही उपकरण**" का अर्थ अनुसूची 1 के भाग 1 में निर्धारित रियायतग्राही के उपकरण और सुविधाएं हैं, और जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता हो, इसमें रियायतग्राही विकास उपकरण शामिल होंगे;

"**रियायतग्राही विकास उपकरण**" का अर्थ वही है जो खंड 6.3.1 में निर्धारित किया गया है;

"**डीजीसीए**" का अर्थ नागर विमानन महानिदेशालय या उसका कोई विकल्प होगा;

"**विवाद**" का अर्थ वही होगा जो खंड 14.1 में निर्धारित किया गया है;

"**विस्तार**" का अर्थ रियायत समझौते के अनुसार रियायतग्राही द्वारा समय-समय पर की जाने वाली हवाईअड्डे की क्षमता का विस्तार है;

"**अंतिम संचार, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन विकास योजना**" का अर्थ वही होगा जो खंड 6.2.1 में निर्धारित किया गया है;

"**उड़ान सूचना क्षेत्र**" का अर्थ निर्धारित आयामों का एक ऐसा हवाई क्षेत्र है जिसके भीतर उड़ान सूचना सेवा और चेतावनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं;

"**अप्रत्याशित घटना**" (फ़ोर्स मेज्योर) का अर्थ वही होगा जो खंड 11.2 में निर्धारित किया गया है;

"**भारत सरकार**" का अर्थ भारत सरकार और उसकी कोई भी विधिवत अधिकृत एजेंसी, प्राधिकारी (किसी भी नियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षक, मंत्रालय या नागर विमानन मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और दिशा के तहत वैधानिक व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) है;

"**घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया**" का अर्थ घटनाओं और आपात स्थिति की रिपोर्टिंग के लिए भाविप्रा और रियायतग्राही के बीच समय-समय पर सहमत होने वाली प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों के अनुसार होगी और समग्र हवाई क्षेत्र प्रबंधन, उस प्रासंगिक उड़ान सूचना क्षेत्र में रक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी जिसमें हवाई अड्डा स्थित है;

"**क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष**" का अर्थ वही होगा जो खंड 9.2 में निर्धारित किया गया है;

"**क्षतिपूर्ति देने वाला पक्ष**" का अर्थ वही होगा जो खंड 9.2 में निर्धारित किया गया है;

"**जेसीसी**" (संयुक्त समन्वय समिति) का अर्थ वही होगा जो खंड 7.1 में निर्धारित किया गया है;

"**परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया**" का अर्थ भाविप्रा सेवाओं के दैनिक निर्वहन और रियायतग्राही के दायित्वों से संबंधित जानकारी के संचार के लिए भाविप्रा और रियायतग्राही के बीच समय-समय पर सहमत होने वाली प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों के अनुसार होगी और समग्र हवाई क्षेत्र प्रबंधन, उस प्रासंगिक उड़ान सूचना क्षेत्र में रक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी जिसमें हवाई अड्डा स्थित है;

"**प्रारंभिक संचार, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन विकास योजना**" का अर्थ वही होगा जो खंड 6.1.2 में निर्धारित किया गया है;

"**परियोजना**" का अर्थ वही होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;

"**मार्ग दिक्चालन सुविधाएं शुल्क**" का अर्थ लागू कानूनों के अनुसार मार्ग दिक्चालन सुविधाएं प्रदान करने के लिए भाविप्रा द्वारा एयरलाइंस और/या विमान ऑपरेटरों से लिया जाने वाला शुल्क है; और

"टर्मिनल दिक्चालन एवं लैंडिंग शुल्क" का अर्थ टर्मिनल दिक्चालन ल लैंडिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए भाविप्रा द्वारा एयरलाइंस या विमान ऑपरेटरों से ली जाने वाली या ली जाने वाली राशि है।

लागू कानूनों के अनुसार हवाईअड्डे पर सेवाएं।

1.2 व्याख्या

1.2.1 बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) से शुरू होने वाले और इस समझौते में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो इसमें दिया गया है, और इस समझौते में उपयोग किए गए तथा इसमें परिभाषित नहीं किए गए लेकिन रियायत समझौते में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जब तक कि संदर्भ के विपरीत न हो, वही होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है।

1.2.2 इस समझौते की व्याख्या को नियंत्रित करने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा है। किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले सभी आवश्यक नोटिस और अन्य सभी संचार और दस्तावेज़ीकरण जो किसी भी तरह से इस समझौते के निष्पादन, कार्यान्वयन और समाप्ति से संबंधित हैं, जिनमें किसी भी विवाद निवारण कार्यवाही तक सीमित नहीं है, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

1.2.3 अनुच्छेदों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, इस समझौते के अनुच्छेदों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ हैं।

1.2.4 रियायत समझौते के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए व्याख्या के नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित (यथाआवश्यक संशोधन के साथ), इस समझौते पर लागू होंगे।

2. वैधता और अवधि

2.1 इस समझौते के प्रावधान (अनुच्छेद 1, 2, 12 से 14 और 16 से 20 में निहित प्रावधानों को छोड़कर, जो इस समझौते की तारीख से पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे) और इस समझौते के तहत पक्षकारों के संबंधित अधिकार और दायित्व वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से पूरी तरह लागू और प्रभावी होंगे।

2.2 यदि रियायत समझौते की पूर्ववर्ती शर्तों (कंडीशंस प्रेसिडेंट) को पूरा न करने के कारण रियायत समझौता समाप्त कर दिया जाता है, तो यह समझौता किसी भी पक्ष पर बिना किसी देनदारी के तुरंत समाप्त हो जाएगा।

2.3 इस अनुच्छेद 2 की शर्तों के अधीन, यह समझौता, जब तक कि अनुच्छेद 12 के अनुसार समाप्त न किया जाए, रियायत समझौते की समाप्ति या समय से पहले समाप्ति तक पूरी तरह लागू और प्रभावी रहेगा।

3. अभ्यावेदन और वारंटी

रियायत समझौते के अनुच्छेद-7 में बताए गए अभ्यावेदन और वारंटी, आवश्यक परिवर्तनों सहित (यथाआवश्यक संशोधन के साथ), इस समझौते पर लागू होंगे।

4. प्राधिकरण के दायित्व

4.1 भाविप्रा सेवाएं

4.1.1 भाविप्रा अपनी अवधि के दौरान, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार अपने स्वयं के लागत और खर्च पर हर समय (प्रत्येक दिन 24 (चौबीस) घंटों में आवश्यक बहु-शिफ्ट संचालन के माध्यम से) निम्नलिखित कार्य करेगा:

(क) संचार, दिक्चालन , निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना जैसा कि अनुसूची 2 में विशेष रूप से प्रदान किया गया है;

(ख) भाविप्रा उपकरणों का रखरखाव करना, जिसमें भाविप्रा उपकरणों का आवधिक उड़ान अंशांकन (फ़्लाइट कैलिब्रेशन) और अन्य परीक्षण शामिल हैं;

(ग) समय-समय पर आवश्यकतानुसार भाविप्रा उपकरणों को अपग्रेड करना और/या बढ़ाना: (क) भाविप्रा को हवाईअड्डे पर प्रासंगिक भाविप्रा सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए; (ख) प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओंका अनुपालन करने के लिए; और (ख) विस्तार के परिणाम स्वरूप; और

(घ) भाविप्रा सेवाओं को निष्पादित करने के लिए आवश्यक जनशक्ति (मैनपावर) को तैनात करना।

4.1.2 विस्तार के कारण रियायतग्राही के अनुरोध पर, भाविप्रा अपने उपकरण को रियायतग्राही की लागत और खर्च पर स्थानांतरित करेगा, शर्त यह है कि ऐसे स्थानांतरण से इस समझौते के तहत भाविप्रा के दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े:

बशर्ते कि भाविप्रा अपने स्वविवेक से भाविप्रा उपकरण को स्थानांतरित कर सकता है, इस शर्त के अधीन कि इस तरह के स्थानांतरण से रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों और/या हवाईअड्डे के सुचारू संचालन पर असर न पड़े।

4.1.3 भाविप्रा वायु यातायात के सुरक्षित, शीघ्र और व्यवस्थित प्रवाह के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा और संशोधन करेगा।

4.1.4 भाविप्रा रियायतग्राही को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आवाजाही के लिए वायु यातायात आवाजाही के सभी आंकड़े ऐसे प्रारूप में, और ऐसी आवृत्ति पर तथा वितरण की ऐसी विधि के माध्यम से प्रदान करेगा जैसा कि पक्षकारों द्वारा समय-समय पर सहमति व्यक्त की जाए।

4.1.5 भाविप्रा परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के तहत यथा आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा और उसका रिकॉर्ड रखेगा तथा रियायतग्राही और वैमानिकों को नोटिस जारी करेगा, जिसमें भाविप्रा सेवाओं का बंद/खराब होना भी शामिल है।

4.1.6 भाविप्रा शिकागो कन्वेंशन, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों, डीजीसीए नागर विमानन आवश्यकताओं, और भाविप्रा तथा भारत सरकार के भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बीच हुए किसी भी समझौते के तहत समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार, भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के लिए भारत सरकार के भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से अपने लागत और खर्च पर विमानन मौसम संबंधी सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त करेगा। रियायतग्राही अपने लागत और खर्च पर भाविप्रा या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार को बिना किसी लागत के, स्थल पर ऐसा बुनियादी ढांचा और स्थान प्रदान करेगा जैसा कि उपकरणों और/या यंत्रों की स्थापना और कार्यालय स्थापित करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार द्वारा आवश्यक हो।

4.1.7 भाविप्रा, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओंके अनुसार हवाईअड्डे पर और हवाईअड्डे के आसपास के हवाई क्षेत्र में विमानों के सुरक्षित, शीघ्र और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भाविप्रा सेवाओं से संबंधित ऐसी सभी प्रक्रियाओं, पुस्तिकाओं (मैनुअल) और चार्टों को तैयार और प्रकाशित करेगा।

4.2 एन-रूट वायु दिक्चालन और वायु यातायात प्रवाह प्रबंधन सेवाएं

4.2.1 यदि भाविप्रा को आवश्यकता हो, तो वह अपने लागत और खर्च पर एन-रूट वायु दिक्चालन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक किसी भी रडार, उपकरण, भवन, कार्य या सुविधाओं को हवाईअड्डे या स्थल पर रखना जारी रख सकता है (या आवश्यकतानुसार स्थानांतरित कर सकता है)।

4.2.2 भाविप्रा अपने लागत और खर्च पर हवाईअड्डे पर एन-रूट वायु दिक्चालन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपकरण या सुविधाएं स्थापित कर सकता है।

4.2.3 भाविप्रा रियायतग्राही की पूर्व स्वीकृति के अधीन, जो स्वीकृति अनुचित रूप से नहीं रोकी जाएगी, अपने लागत और खर्च पर हवाईअड्डे पर और पूरे भारत में वायु यातायात प्रवाह प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपकरण या सुविधाएं स्थापित कर सकता है।

4.2.4 जैसा भी मामला हो, खंड 4.1.1 और/या खंड 4.1.2 के तहत स्थानांतरण और/या स्थापना करते समय, भाविप्रा हवाईअड्डे के सामान्य संचालन में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए उचित उपाय करेगा। ऐसे उपाय किए जाने के अधीन, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के स्थानांतरण और/या स्थापना के कारण हवाईअड्डे के सामान्य संचालन में होने वाले किसी भी व्यवधान के लिए भाविप्रा को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

4.2.5 भाविप्रा यह सुनिश्चित करेगा कि समय-समय पर उसके द्वारा स्थापित सभी उपकरण, रडार, भवन, कार्य या सुविधाएं सर्वोत्तम उद्योग परिपाटियों के अनुसार संचालित और अनुरक्षित हों।

4.3 सेवा के मानक

4.3.1 भाविप्रा हर समय प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार भाविप्रा सेवाएं प्रदान करेगा, और भाविप्रा सेवाओं या भाविप्रा उपकरणों के प्रावधान के संबंध में रियायतग्राही को कोई खर्च करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

4.3.2 भाविप्रा यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मी रियायतग्राही की लागत पर, रियायतग्राही द्वारा शुरू किए गए किसी भी गुणवत्ता सुधार उपायों में भाग लें, और समान रनवे विन्यास एवं मौसम संबंधी स्थितियों के लिए यथोचित रूप से प्राप्त किए जा सकने वाले अधिकतम विमान आवागमन प्रति घंटा (जेट विमान आवागमन) को प्राप्त करने और बनाए रखने में रियायतग्राही की सहायता करेंगे।

4.4 गैर-हस्तक्षेप (हस्तक्षेप न करना)

भाविप्रा स्वयं नहीं करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मी और एजेंट रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निर्वहन में हस्तक्षेप, बाधा या किसी भी प्रकार का व्यवधान न डालें, सिवाय इसके कि भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के लिए ऐसा करना आवश्यक हो।

5. रियायतग्राही के दायित्व

5.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि:

(क) रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच का निर्माण और रखरखाव प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओंके अनुसार किया जाए और वे विमान संचालन के लिए उपलब्ध हों।

(ख) रनवे के लिए स्ट्रिप्स, शोल्डर, स्टॉप वे और रनवे एंड सेफ्टी एरिया (RESA) तथा टैक्सीवे के लिए स्ट्रिप्स और शोल्डर का निर्माण और रखरखाव प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओंके अनुसार किया जाए।

(ग) हवाईअड्डे की बाधा सीमा सतहों (ऑब्स्टैकल लिमिटेशन सर्फेसेस) तथा एप्रोच और टेक-ऑफ क्षेत्र को बाधाओं से मुक्त रखा जाए, या कोई भी बाधाएं प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओंमें अनुमत सीमाओं के अनुसार हों, और भाविप्रा के पूर्व अनुमोदन के अधीन हों।

(घ) संचार, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन उपकरणों के लिए भाविप्रा द्वारा चिन्हित संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को किसी भी ऐसी बाधा से मुक्त रखा जाए जो ऐसे उपकरणों के कामकाज में बाधा डाल सकती है और/या विमान संचालन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।

(ड.) बचाव और अग्निशमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणी प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार उपलब्ध कराई जाए और अनुरक्षित रखी जाए।

(च) परिचालन क्षेत्र में और उसके आसपास पक्षियों/जानवरों के उपद्रव को रोकने के लिए हवाईअड्डे पर उपयुक्त व्यवस्थाएं मौजूद हों।

(छ) निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए हवाईअड्डे पर उपयुक्त आकस्मिक व्यवस्थाएं (कंटिंजेंसी अरेंजमेंट्स) मौजूद हों:

(i) रनवे से अक्षम/क्षतिग्रस्त विमान को हटाना।

(ii) विमान या हवाईअड्डे को बम की धमकी।

(iii) हवाईअड्डे पर और उसके आसपास के क्षेत्र में विमान दुर्घटनाएं।

(iv) गैर-अनुसूचित विमान का हवाईअड्डे पर उतरने के लिए मजबूर होना।

v) हवाईअड्डे पर आग लगना।

(vi) प्राकृतिक आपदाएं और विपत्तियां।

(vii) हवाईअड्डे और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक अशांति।

(viii) हवाईअड्डे पर नागर विमानन का अपहरण और/या उसमें गैर-कानूनी हस्तक्षेप।

(ix) हवाईअड्डे पर टर्मिनल भवन और/या किसी भी परिचालन क्षेत्र पर उग्रवादी हमले।

(ज) वायु यातायात सेवा परिसर को हवाईअड्डा प्रबंधक तथा हवाईअड्डे पर स्थित सभी आपातकालीन सेवाओं, जिनमें अग्निशमन सेवा, चिकित्सा सेवा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और पुलिस शामिल हैं, से जोड़ने के लिए आपातकालीन अलार्म घंटियां स्थापित की जाएं।

(झ) भाविप्रा और उसके कर्मियों, वाहनों तथा एजेंटों को हवाईअड्डे और उसके सभी परिचालन क्षेत्रों में ऐसी पहुंच प्रदान की जाए जो भाविप्रा सेवाओं के निष्पादन के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो।

(ट) भाविप्रा और उसके कर्मियों एवं एजेंटों को ऐसी जानकारी प्रदान की जाए जो भाविप्रा सेवाओं के निष्पादन के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो।

(ठ) इसके कर्मचारी और एजेंट, जैसी भी स्थिति हो, परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया या घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, और जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी मिले, तुरंत रिपोर्ट करें: (i) एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में किसी भी विफलता या दोष की; (ii) भाविप्रा को रियायतग्राही के किसी भी उपकरण की अनुपलब्धता की; और (iii) रनवे, एप्रन, एप्रोच, टैक्सीवे या अन्य आवाजाही वाले क्षेत्रों में किसी भी बाधा की।

(ड) परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, रियायतग्राही के किसी भी उपकरण को बंद करने या हटाने के किसी भी प्रस्तावित निर्णय के बारे में भाविप्रा को अधिसूचित किया जाए।

(ढ) आगमन के अनुमानित समय की प्राप्ति पर विमानों के लिए पार्किंग बे और एयरो ब्रिज आवंटित किए जाएं, और इसकी जानकारी भाविप्रा को दी जाए ताकि भाविप्रा तदनुसार विमान का मार्गदर्शन कर सके।

5.2 रियायतग्राही, अपनी लागत और खर्च पर:

(क) भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के लिए भाविप्रा के कर्मियों और एजेंटों को हर समय अनुसूची 3 में निर्धारित अनुसार कार्यालय स्थान/सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

(ख) प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओंके अनुसार एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम और मुख्य तथा स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणालियों का रखरखाव करेगा।

(ग) भाविप्रा के निर्देश पर, रनवे, एप्रन, एप्रोच, टैक्सीवे या अन्य आवाजाही वाले क्षेत्रों से किसी भी बाधा को हटाएगा।

(घ) भाविप्रा उपकरणों को स्थानांतरित करेगा जहाँ ऐसा स्थानांतरण विस्तार के कारणों से हो।

(ड.) भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के लिए अनुसूची 3 में निर्धारित अनुसार भाविप्रा उपकरणों और कार्यालय स्थान/सुविधाओं को उपयोगिता आपूर्ति (दोहरे आपूर्ति स्रोत के साथ बिजली की आपूर्ति सहित) प्रदान करेगा।

5.3 यदि रियायतग्राही को प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं में निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक भाविप्रा उपकरणों को अपग्रेड करने के लिए भाविप्रा की आवश्यकता होती है, तो भाविप्रा, जेसीसी द्वारा ऐसे अपग्रेडेशन को आवश्यक निर्धारित करने के अधीन, अपने स्वयं के लागत और खर्च पर ऐसा अपग्रेडेशन करेगा।

6. सुविधाओं और उपकरणों का विकास और विस्तार

6.1 सुविधाओं और उपकरणों के विकास और विस्तार की योजना

6.1.1 भाविप्रा और रियायतग्राही हवाईअड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यातायात प्रवाह के कारण संचार, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन सेवाओं की भविष्य की आवश्यकताओं का समय-समय पर मूल्यांकन करेंगे।

6.1.2 जिस तारीख को किसी पक्ष द्वारा संचार, दिक्चालन, निगरानी/ वायु यातायात प्रबंधन उपकरणों के भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त होने की संभावना जताई जाती है, उससे 24 (चौबीस) महीने पहले कोई भी पक्ष संचार, दिक्चालन, निगरानी/ वायु यातायात प्रबंधन उपकरणों के आवश्यक विकास, उन्नयन (अपग्रेडेशन) और/या विस्तार के लिए एक

योजना ("**प्रारंभिक संचार, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन विकास योजना**") प्रस्तुत कर सकता है। प्रारंभिक संचार, दिक्चालन, निगरानी/ वायु यातायात प्रबंधन विकास योजना में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) अनुमानित यातायात प्रवाह पर सभी सहायक आंकड़ों के साथ विश्लेषण;

(ii) भाविप्रा सेवाओं और रियायतग्राही सेवाओं में वृद्धि की आवश्यकता;

(iii) अतिरिक्त संचार, दिक्चालन, निगरानी/ वायु यातायात प्रबंधन उपकरणों की आवश्यकता या भाविप्रा उपकरणों के उन्नयन की आवश्यकता (प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओंमें निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक);

(iv) संचार, दिक्चालन, निगरानी/ वायु यातायात प्रबंधन उपकरणों के स्थानांतरण की आवश्यकता;

(v) निम्नलिखित के संदर्भ में रियायतग्राही द्वारा भाविप्रा और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार को प्रदान किए जाने वाले आवश्यक बुनियादी ढांचे:

(क) उपकरणों/यंत्रों की स्थापना के लिए परिचालन क्षेत्र में स्थान; और

(ख) कार्यालय स्थापित करने के लिए स्थान।

(vi) भाविप्रा के कर्मियों और एजेंटों के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्यालय स्थान/सुविधाएं।

6.2 सुविधाओं या उपकरणों के विकास, विस्तार और परिवर्तन की प्रक्रिया

6.2.1 किसी पक्ष द्वारा प्रारंभिक संचार, दिक्चालन, निगरानी/ वायु यातायात प्रबंधन विकास योजना जमा करने के 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर, पक्षकार प्रारंभिक संचार, दिक्चालन, निगरानी/ वायु यातायात प्रबंधन विकास योजना पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे और संचार, दिक्चालन, निगरानी/ वायु यातायात प्रबंधन उपकरणों के विकास, उन्नयन और/या विस्तार के लिए एक योजना तथा उसकी अनुसूची ("**अंतिम संचार, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन विकास योजना**") को सद्भावपूर्वक अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। अंतिम संचार, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन विकास योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, इसे खंड 7.3 के अनुसार जेसीसी को संदर्भित किया जाएगा।

6.2.2 पक्षकार इस समझौते के तहत अपने संबंधित दायित्वों के अनुसार अंतिम संचार, दिक्चालन, निगरानी/ वायु यातायात प्रबंधन विकास योजना द्वारा आवश्यक अतिरिक्त सुविधाएं, उपकरण, जनशक्ति और उपयोगिता आपूर्ति (दोहरे आपूर्ति स्रोत के साथ बिजली की आपूर्ति सहित) अपनी लागत पर प्रदान करेंगे।

6.3 रियायतग्राही विकास दायित्व

6.3.1 रियायतग्राही, अंतिम संचार, दिक्चालन, निगरानी/ वायु यातायात प्रबंधन विकास योजना की आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी लागत और खर्च पर, रियायतग्राही के दायरे में पहचाने गए ऐसे अतिरिक्त उपकरणों और सुविधाओं (कार्यालय सुविधाओं सहित) को डिजाइन, निर्माण, स्थापित, परीक्षण, चालू (कमीशन) और संचालित करेगा ("**रियायतग्राही विकास उपकरण**")।

6.3.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि:

(i) भाविप्रा किसी भी रियायतग्राही विकास उपकरण के परीक्षण और/या चालू करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो कि रियायतग्राही की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

(ii) भाविप्रा रियायतग्राही को रियायतग्राही विकास उपकरण को अंशांकित (कैलिब्रेट) करने में सक्षम बनाने के लिए अंशांकन उड़ानों (कैलिब्रेशन फ्लाइट्स) के लिए रियायतग्राही के साथ समन्वय करेगा।

(iii) रियायतग्राही विकास उपकरण का स्वामित्व रियायतग्राही के पास निहित होगा।

6.3.3 रियायतग्राही:

(i) भाविप्रा को भाविप्रा विकास उपकरण और रियायतग्राही विकास उपकरण के बीच इंटरफेस की पहचान करके देगा;

(ii) भाविप्रा और उसके कर्मियों, एजेंटों और वाहनों को हवाईअड्डे तक पहुंच और ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो भाविप्रा सेवाओं को निष्पादित करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो;

(iii) उस तारीख से कम से कम 60 (साठ) दिन पहले भाविप्रा को वह तारीख बताएगा जिस दिन रियायतग्राही विकास उपकरण के चालू (कमीशन) होने की उम्मीद है;

(iv) अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार अपने कार्यों की सुरक्षा और देखभाल के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

6.4 भाविप्रा विकास दायित्व

भाविप्रा:

(i) अंतिम संचार, दिक्चालन, निगरानी/ वायु यातायात प्रबंधन विकास योजना की आवश्यकताओं के अनुसार, अपने स्वयं के लागत और खर्च पर, भाविप्रा के दायरे के भीतर पहचाने गए ऐसे अतिरिक्त उपकरणों और सुविधाओं का डिजाइन, निर्माण, स्थापना, परीक्षण, चालू (कमीशन) और संचालन करेगा ("**भाविप्रा विकास उपकरण**");

(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि भाविप्रा विकास उपकरण उस तारीख से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले चालू किया जाए जिस दिन रियायतग्राही विकास उपकरण के चालू होने की उम्मीद है;

(iii) भाविप्रा विकास उपकरण और रियायतग्राही विकास उपकरण के बीच तालमेल और संगतता (कम्पैटिबिलिटी) सुनिश्चित करेगा, और इस संबंध में उपयुक्त इंटरफेसिंग सुनिश्चित करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसकी लागत रियायतग्राही द्वारा वहन की जाएगी;

(iv) रियायतग्राही की लागत पर, रियायतग्राही विकास उपकरण के किसी भी अंशांकन (कैलिब्रेशन) और बेंचमार्क परीक्षण में भाग लेगा;

(v) यह सुनिश्चित करेगा कि भाविप्रा विकास उपकरण प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों तथा डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार भाविप्रा सेवाओं को निष्पादित कर सकता है;

(vi) भाविप्रा विकास उपकरण को भाविप्रा द्वारा संचालित किसी भी प्रासंगिक वायु दिक्चालन और मौसम संबंधी उपकरणों और प्रणालियों के साथ एकीकृत करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएगा;

(vii) भाविप्रा विकास उपकरण को चालू करने के लिए आवश्यक ऐसी अंशांकन उड़ानें संचालित करेगा और, जहाँ तक व्यावहारिक हो, रियायतग्राही के साथ समन्वय करेगा ताकि रियायतग्राही उसी समय रियायतग्राही विकास उपकरण का अंशांकन करने में सक्षम हो सके। संदेह के निवारण के लिए, भाविप्रा रियायतग्राही विकास उपकरण को अंशांकित करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए खर्च के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। रियायतग्राही विकास उपकरण को अंशांकित करने के लिए भाविप्रा द्वारा किया गया कोई भी खर्च रियायतग्राही से वसूल किया जाएगा;

(viii) अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार अपने कार्यों की सुरक्षा और देखभाल के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

7. संयुक्त समन्वय समिति

7.1 पक्षकार स्वीकार करते हैं कि, इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन करने के लिए किसी भी पक्ष के लिए एक-दूसरे के साथ समन्वय करना आवश्यक होगा, और उस प्रभाव के लिए पक्षकार इसके द्वारा वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से 1 (एक) महीने के भीतर एक संयुक्त समन्वय समिति ("**जेसीसी**") स्थापित करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं। जेसीसी:

(i) में 4 (चार) सदस्य शामिल होंगे, जिसमें प्रत्येक पक्ष 2 (दो) सदस्यों को मनोनीत और नियुक्त करेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि जेसीसी के सदस्य अपनी ओर से बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों (प्रॉक्सी) को मनोनीत/प्रस्तावित कर सकते हैं।

(ii) की अध्यक्षता रियायतग्राही के नामिती (नॉमिनी) द्वारा की जाएगी।

(iii) महीने में कम से कम एक बार हवाईअड्डे पर बैठक करेगी।

7.2 पक्षकारों द्वारा जेसीसी द्वारा विचार किए गए सभी मामलों के संबंध में संबंधित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने और उन्हें बाध्य करने का पूर्ण अधिकार जेसीसी के सदस्यों को सौंप दिया गया माना जाएगा।

7.3 जेसीसी संचालन, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन सेवाओं के संबंध में पक्षकारों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद और मतभेद का समाधान करना शामिल है।

(i) यदि जेसीसी किसी भी मामले में ऐसे तरीके से निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ रहती है जो पक्षकारों के लिए संतोषजनक हो, तो कोई भी पक्ष ऐसे मामले को रियायतग्राही के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भाविप्रा के अध्यक्ष के संयुक्त विचार-विमर्श के लिए संदर्भित करने का हकदार होगा।

(ii) यदि उप-खंड (i) के अनुसार संदर्भ के 15 (पंद्रह) कार्य दिवसों के भीतर मामला हल नहीं होता है, तो कोई भी पक्ष मामला अनुच्छेद 14 के तहत समाधान के लिए संदर्भित कर सकता है।

8. राजस्व और शुल्क

8.1 भाविप्रा सेवाओं को निष्पादित करने के बदले, भाविप्रा सीधे एयरलाइंस से मार्ग दिक्चालन सुविधाएं शुल्क और टर्मिनल दिक्चालन ल लैंडिंग शुल्क ("**संचालन, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन शुल्क**") वसूल करने का हकदार होगा और रियायतग्राही पर ऐसे शुल्कों के संबंध में कोई देनदारी नहीं होगी।

8.2 भाविप्रा द्वारा संचालन, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन शुल्क एकत्र करने में विफलता किसी भी तरह से या किसी भी प्रकार से भाविप्रा को भाविप्रा सेवाओं के निष्पादन से छूट नहीं देगी।

8.3 यदि कोई व्यक्ति भाविप्रा को संचालन, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने में चूक करता है, तो भाविप्रा को ऐसे व्यक्ति को भाविप्रा सेवाएं प्रदान न करने और बकाया राशि की वसूली के लिए उचित समझे जाने वाले कदम उठाने का अधिकार होगा, और यह भाविप्रा सेवाओं के निष्पादन में भाविप्रा की ओर से चूक नहीं माना जाएगा।

8.4 इस समझौते के प्रावधानों के तहत हवाईअड्डे पर या अन्यथा संचालन, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन सेवाओं और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के प्रावधान के लिए भाविप्रा द्वारा सीधे तौर पर उठाए गए सभी लागत और खर्च, चाहे वे परिचालन प्रकृति के हों या पूंजीगत, उन शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे जो भाविप्रा ऐसी सेवाओं के लिए लगा सकता है। भाविप्रा द्वारा सीधे तौर पर वहन की गई किसी भी लागत या खर्च की भरपाई रियायतग्राही द्वारा नहीं की जाएगी, न ही वे वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे जिन्हें रियायतग्राही द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है।

8.5 इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा सीधे तौर पर उठाए गए सभी लागत और खर्च, चाहे वे परिचालन प्रकृति के हों या पूंजीगत, ऐरा द्वारा वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे, जिन शुल्कों को रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है। रियायतग्राही द्वारा सीधे तौर पर वहन की गई किसी भी लागत या खर्च की भरपाई भाविप्रा द्वारा नहीं की जाएगी, और न ही वे उन शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे जिन्हें भाविप्रा द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है।

9. क्षतिपूर्ति

9.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष और उसके ठेकेदारों, प्राचार्यों और एजेंटों को किसी भी पक्ष के दायित्वों के निष्पादन (चाहे कार्य द्वारा या लोप द्वारा) से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उत्पन्न होने वाली विफलता या देरी के कारण या तीसरे पक्षों के दावों के परिणामस्वरूप पीड़ित पक्ष और उसके ठेकेदारों, प्राचार्यों और एजेंटों पर लगाए गए, दावा किए गए या उठाए गए नुकसान, लागत, खर्च, देनदारी या क्षति के बराबर के सभी भुगतानों से क्षतिपूर्तिकृत करेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें हानिरहित रखेगा (अप्रत्याशित घटना की स्थिति को छूट दी गई है), जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु या चोट के दावे या संपत्ति के नुकसान या क्षति के नुकसान के दावे शामिल हैं।

9.2 नोटिस और दावों का विरोध

यदि इस समझौते के किसी पक्ष को किसी तीसरे पक्ष से ऐसा कोई दावा प्राप्त होता है जिसके संबंध में वह खंड 9.1 के तहत क्षतिपूर्ति का लाभ पाने का हकदार है या जिसके संबंध में वह प्रतिपूर्ति का हकदार है ("**क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष**"), तो वह दावा प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर इसके तहत ऐसे दावे की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार दूसरे पक्ष ("**क्षतिपूर्ति देने वाला पक्ष**") को सूचित करेगा, और क्षतिपूर्ति देने वाले पक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना दावे का निपटारा या भुगतान नहीं करेगा, जिस स्वीकृति को अनुचित रूप से नहीं रोका जाएगा या देरी नहीं की जाएगी। यदि क्षतिपूर्ति देने वाला पक्ष दावे का विरोध या विवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के नाम पर कार्यवाही संचालित कर सकता है और इसका विरोध करने में शामिल सभी लागतों को वहन करेगा। क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष किसी भी दावे का विरोध करने में पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेगा और ऐसे सभी लेखों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा जिनकी क्षतिपूर्ति देने वाले पक्ष को यथोचित आवश्यकता हो सकती है।

10. उत्तरदायित्व

पक्षकारों का इरादा है कि इस समझौते में निहित अधिकार, दायित्व और देनदारियां पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों का एक संपूर्ण विवरण होंगी

जो इस समझौते से या इसके संबंध में उत्पन्न होती हैं। तदनुसार, इस समझौते में और इसके अनुसरण में किए गए किसी भी दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से बताए गए उपाय इस

समझौते से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाली एक-दूसरे के प्रति देनदारियों के लिए पक्षकारों के एकमात्र और विशिष्ट उपाय होंगे, जिसमें इसके संबंध में दिए गए किसी भी अभ्यावेदन, वारंटी या वचनबद्धता शामिल है, कानून में या साम्या में अन्यथा उपलब्ध किसी भी उपाय के बावजूद। भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के संबंध में प्राधिकरण की देनदारी प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता से गिरावट और/या आउटेज की अवधि के अनुरूप टर्मिनल दिक्चालन ल लैंडिंग शुल्क तक सीमित होगी।

11. अप्रत्याशित घटना (फ़ोर्स मेज्योर)

11.1 अप्रत्याशित घटना

अनुच्छेद 11 लागू होगा यदि किसी भी पक्ष ("**प्रभावित पक्ष**") द्वारा इस समझौते के तहत उसके दायित्वों का निष्पादन अप्रत्याशित घटना के कारण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बाधित, अवरुद्ध या विलंबित होता है।

11.2 अप्रत्याशित घटना की परिभाषा

11.2.1 इस समझौते में, "**अप्रत्याशित घटना**" का अर्थ किसी भी ऐसे कार्य, घटना या परिस्थिति अथवा कार्यों, घटनाओं और परिस्थितियों का संयोजन है, जिनमें इस खंड 11.2 में संदर्भित भी शामिल हैं, जो प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से परे हैं और जिन्हें प्रभावित पक्ष अच्छी उद्योग प्रथा द्वारा या किसी भी सुविधा के निर्माण के संबंध में उचित कौशल और देखभाल के उपयोग द्वारा नहीं रोक सकता था, और जो, या जिसके कोई भी परिणाम किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौते के तहत उसके दायित्वों के निष्पादन को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोकते, बाधित करते या विलंबित करते हैं।

11.2.2 "**अप्रत्याशित घटना**" में निम्नलिखित घटनाएं और परिस्थितियां इस सीमा तक शामिल हैं कि वे, या उनके परिणाम, उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

(क) निम्नलिखित प्रकार के कार्य, घटनाएं या परिस्थितियां:

(i) किसी भी पक्ष या उसके ठेकेदारों, या उनके संबंधित उप-ठेकेदारों, सेवकों या एजेंटों को शामिल करने वाली हड़तालें, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक कार्रवाई या श्रम विवाद, जो किसी भी स्थिति में भारत के भीतर कार्य के निष्पादन या भारत के भीतर माल या सेवाओं की आपूर्ति पर नियोजित हों;

(ii) आकाशीय बिजली, भूकंप, तूफान, चक्रवात, हरिकेन, बवंडर, आंधी, बाढ़, वाशआउट (धंसना/बह जाना), भूस्खलन, मृदा अपरदन, धंसाव, सूखा या पानी की कमी, और अन्य असामान्य या अत्यधिक प्रतिकूल मौसम या पर्यावरणीय परिस्थितियां या प्राकृतिक

तत्वों के कार्य, उल्कापिंड या विमान या अन्य हवाई उपकरणों से गिरने वाली वस्तुएं, पराध्वनिक (सुपरसोनिक) गति से यात्रा करने वाले विमान या अन्य हवाई उपकरणों के कारण उत्पन्न दबाव तरंगों का होना, आग या विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनकारी विकिरण (उन परिस्थितियों को छोड़कर जहां विस्फोट या संदूषण या विकिरण का स्रोत या कारण प्रभावित पक्ष या उनके द्वारा नियोजित या लगे हुए लोगों द्वारा स्थल पर या उसके पास लाया गया है या लाया गया था प्रभावित पक्ष द्वारा, जब तक कि यह हवाईअड्डे के किसी भी भाग के निर्माण या संचालन के लिए आवश्यक है या नहीं था);

(iii) हवाईअड्डे पर कोई भी दुर्घटनाएं;

(iv) वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से पहले किसी भी माध्यम से परिवहन के दौरान हवाईअड्डे में शामिल करने के उद्देश्य से ले जाए जा रहे कार्गो का कोई आकस्मिक नुकसान या क्षति;

(v) हवाईअड्डे का नुकसान या गंभीर आकस्मिक क्षति;

(vi) महामारी;

(vii) युद्ध का कार्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी दुश्मन का कार्य, नाकाबंदी, प्रतिबंध, क्रांति, दंगा, बम या नागरिक उपद्रव;

(viii) तोड़फोड़, आतंकवाद या ऐसे कृत्यों की धमकी;

(ix) ईश्वरीय कृत्य (दैवीय आपदा); या

(x) पूर्वगामी के समान प्रकृति का कोई भी कृत्य, घटना या परिस्थिति।

(ख) बशर्ते कि निम्नलिखित में से कोई भी मामला या उनके परिणाम अप्रत्याशित घटना का गठन करने या बनने में सक्षम नहीं होंगे:

(i) कोई भी भुगतान करने में विफलता या असमर्थता; या

(ii) बाजार की स्थितियों के प्रभाव, जब तक कि ऐसी बाजार स्थितियां खुद किसी अप्रत्याशित घटना के कारण न उत्पन्न हुई हों या उसका परिणाम न हों।

(ग) और इसके अतिरिक्त बशर्ते कि ऊपर खंड 11.2.2(क) में संदर्भित कोई कृत्य, घटना या परिस्थिति, जो मुख्य रूप से किसी तीसरे पक्ष या तीसरे पक्षों (बिना किसी सीमा के, निर्माण ठेकेदार या हवाईअड्डे के संचालक, किसी पक्ष की संबद्ध संस्था या किसी पक्ष अथवा उसकी संबद्ध संस्था के उप-ठेकेदार शामिल हैं) को प्रभावित करती है और जो किसी पक्ष को अपने दायित्वों के निष्पादन में रोकती है, बाधित करती है या विलंबित करती है, इस खंड 11 के तहत उस पक्ष के लिए उचित रूप से अप्रत्याशित घटना मानी जाएगी यदि और जिस सीमा तक वह ऐसी प्रकृति या चरित्र की है, कि यदि वह इस खंड पर भरोसा करने के इच्छुक पक्ष के साथ हुई होती, तो इस खंड 11 के तहत अप्रत्याशित घटना की परिभाषा के अंतर्गत आती।

11.3 अप्रत्याशित घटना के परिणाम

11.3.1 निष्पादन दायित्व

प्रभावित पक्ष इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में किसी भी दायित्व का पालन करने में विफलता, या पालन करने में देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और उसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा.

अपने दायित्वों का निष्पादन करने के लिए, जिस सीमा तक ऐसी विफलता या देरी किसी अप्रत्याशित घटना के सीधे कारण हुई है और, विशेष रूप से, लेकिन बिना किसी सीमा के, ऐसे किसी भी दायित्व के निष्पादन के लिए दी गई अनुमति की अवधि तदनुसार बढ़ा दी जाएगी।

11.3.2 अधिसूचना

यदि प्रभावित पक्ष यह दावा करता है कि उसे किसी अप्रत्याशित घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने से रोका गया है, तो वह यथोचित व्यावहारिक रूप से यथाशीघ्र दावे के आधार और परिणामों का उल्लेख करते हुए दूसरे पक्ष को लिखित रूप में अधिसूचित करेगा।

11.3.3 शमन (निवारण)

प्रभावित पक्ष अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा।

12. समाप्ति

12.1 रियायतग्राही की चूक की घटनाएं

भाविप्रा रियायतग्राही को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा, यदि:

(i) रियायतग्राही इस समझौते के तहत भाविप्रा को देय किसी भी राशि का देय और भुगतान योग्य होने पर भुगतान करने में विफल रहता है और ऐसी विफलता को चूक का उल्लेख करने वाले और इसे सुधारने की आवश्यकता वाले भाविप्रा से नोटिस प्राप्त होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर सुधारा नहीं जाता है;

(ii) रियायतग्राही के परिसमापन, दिवाला या विघटन के लिए एक आदेश दिया जाता है या एक संकल्प पारित किया जाता है, जिसे, यदि ऐसा करने सक्षम हो, उसके 90 (नब्बे) दिनों के भीतर निरस्त या जैसी भी स्थिति हो, रद्द नहीं किया जाता है;

(iii) रियायतग्राही इस समझौते में किसी भी दायित्व (पैसा देने के दायित्व को छोड़कर) का निष्पादन या अनुपालन करने में उस सीमा तक विफल रहता है, जिसका भाविप्रा के अधिकारों और दायित्वों पर महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि सुधार योग्य हो, तो ऐसी विफलता चूक का उल्लेख करने वाले और इसे सुधारने की आवश्यकता वाले भाविप्रा से नोटिस प्राप्त होने के बाद 30 (तीस) दिनों की अवधि तक जारी रहती है।

बशर्ते कि, भाविप्रा समाप्ति का ऐसा नोटिस जारी करने का हकदार नहीं होगा यदि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या भाविप्रा द्वारा रियायतग्राही की समय पर सुधारात्मक कार्रवाई को रोका गया हो।

12.2 भाविप्रा की चूक की घटनाएं

रियायतग्राही, रियायत समझौते में उपयुक्त संशोधन किए जाने के अधीन, उस स्थिति में भाविप्रा को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा जब लागू कानून रियायतग्राही को संचार, दिक्चालन, निगरानी/ वायु यातायात प्रबंधन सेवाएं निष्पादित करने की अनुमति देते हों।

12.3 समाप्ति नोटिस का प्रभाव

यदि इस अनुच्छेद 12 के अनुसरण में किसी पक्ष द्वारा समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, तो समाप्ति के ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी समय, जब तक कि समाप्ति नोटिस जारी करने का कारण बनने वाली परिस्थितियों का पूरी तरह से निवारण न कर दिया गया हो या वे लागू होना बंद न हो गई हों, समाप्ति नोटिस जारी करने वाला पक्ष इस समझौते को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकता है।

12.4 समाप्ति के परिणाम

12.4.1 यदि यह समझौता रियायतग्राही द्वारा खंड 12.2 के अनुसरण में समाप्त कर दिया जाता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भाविप्रा सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण हवाईअड्डे के संचालन प्रभावित या निलंबित न हों, भाविप्रा तुरंत भारत सरकार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए, आपसी सहमति की शर्तों पर "जैसा है जहाँ है" स्थिति में भाविप्रा सेवाओं के निष्पादन में भाविप्रा द्वारा तैयार किए गए सभी भाविप्रा उपकरण, नियमावलियाँ (मैनुअल), चार्ट और अन्य ज्ञापन भारत सरकार को सौंप देगा। भाविप्रा उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

12.4.2 रियायतग्राही, अपने स्वविवेक से, उपयुक्त कदम उठाने और किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से भाविप्रा सेवाओं के समकक्ष सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार से परामर्श कर सकता है। भाविप्रा उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रियायतग्राही को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

12.4.3 इस खंड-12.4 के प्रावधान इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष के अधिकारों या उपलब्ध उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

13. समनुदेशन (असाइनमेंट)

13.1 भाविप्रा द्वारा समनुदेशन

इस समझौते में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, भाविप्रा रियायतग्राही की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व को समनुदेशित या अन्यथा स्थानांतरित नहीं करेगा, बशर्ते भाविप्रा के अधिकारों या दायित्वों का ऐसा समनुदेशन या स्थानांतरण कानून के अधिनियमन के अनुसरण में न हो। ऐसा समनुदेशिती या अंतरिती इस समझौते के नियमों और शर्तों से बाध्य होगा।

13.2 रियायतग्राही द्वारा समनुदेशन

इस समझौते में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, लेकिन खंड 18.6 के अधीन, रियायतग्राही भाविप्रा की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से को समनुदेशित या अन्यथा स्थानांतरित नहीं करेगा;

बशर्ते, हालांकि, रियायतग्राही ऐसी पूर्व लिखित सहमति के बिना, लेकिन भाविप्रा को पूर्व लिखित नोटिस देकर:

सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे पंचाट (अवार्ड) की किसी भी समीक्षा, जहाँ तक कि ऐसी छूट वैध रूप से दी जा सकती है। पक्षकार सहमत हैं कि दिया गया कोई भी मध्यस्थता पंचाट संबंधित पक्ष की संपत्तियों के विरुद्ध लागू किया जा सकता है, चाहे वे संपत्तियां कहीं भी स्थित हों या पाई जाएं, और किसी भी मध्यस्थता पंचाट पर निर्णय (जहाँ भी आवश्यक हो) इसके सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी भी न्यायालय द्वारा दर्ज किया जा सकता है। पक्षकार किसी भी मध्यस्थता पंचाट के प्रवर्तन के उद्देश्यों के लिए स्पष्ट रूप से ऐसे किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आते हैं।

15. बीमा

15.1 बीमा का रखरखाव

भाविप्रा अपने स्वयं के खर्च और लागत पर, हर समय, अपनी संपत्ति की हानि या क्षति, तीसरे पक्ष की देनदारी, कर्मकार मुआवजा (वर्कमेन्स कॉम्पेन्सेशन) नीति और अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार आवश्यक या विवेकपूर्ण समझे जाने वाले किसी भी अन्य बीमा को कवर करने के लिए आवश्यक बीमा लागू करेगा और बनाए रखेगा।

15.2 नीतियां (पॉलिसियां)

खंड 15.1 के तहत प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक बीमा के संबंध में किसी भी बीमा पॉलिसी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, भाविप्रा रियायतग्राही को सूचित करेगा कि ऐसे बीमा प्राप्त कर लिए गए हैं और रियायतग्राही को ऐसे नीति प्रमाणपत्रों की प्रतियां, बीमा पॉलिसियों की प्रतियां और इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि ऐसे बीमा के संबंध में बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है। भाविप्रा द्वारा रियायतग्राही को प्रदान किए गए ऐसे रद्दीकरण, संशोधन या गैर-नवीनीकरण के नोटिस

से कम से कम 45 (पैंतालीस) दिनों की अवधि समाप्त होने तक कोई भी बीमा रद्द, संशोधित या समाप्त/व्यपगत (लैप्स) होने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा।

15.3 बीमा करने में विफलता का उपाय

यदि भाविप्रा उन सभी बीमाओं को प्रभावी और लागू रखने में विफल रहता है जिनके लिए वह इसके अनुसरण में जिम्मेदार है, तो रियायतग्राही के पास ऐसे किसी भी बीमा को लागू रखने, और ऐसे प्रीमियम का भुगतान करने तथा भाविप्रा से उसकी लागत वसूल करने का विकल्प होगा।

15.4 बीमा प्राप्तियों (प्रोसीड्स) का अनुप्रयोग

इस समझौते के तहत भाविप्रा को भुगतान किए गए सभी बीमा दावों का उपयोग क्षतिग्रस्त संपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा, सिवाय उन बीमा आय के जो भौतिक क्षति से संबंधित नहीं हैं।

16. नोटिस

16.1 लिखित रूप में संचार

परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संबंध में छोड़कर, इसके तहत दिए जाने वाले या किए जाने वाले सभी नोटिस या अन्य संचार (i) इसके तहत अपने सभी या लगभग सभी अधिकारों और दायित्वों को रियायतग्राही की सम्बद्ध संस्था (एफिलिएट) को स्थानांतरित कर सकता है;

(ii) इसके तहत अपने सभी या किसी भी हिस्से के अधिकारों और दायित्वों को रियायतग्राही में स्वामित्व हितों के खरीदार को स्थानांतरित कर सकता है;

(iii) इसके तहत रियायतग्राही के अधिकारों को ऋणदाताओं को किसी भी ऐसे समझौते के तहत देय राशियों के लिए समपाश्विक सुरक्षा (कोलैटरल सिक्योरिटी) के रूप में स्थानांतरित कर सकता है जिसके तहत रियायतग्राही ने धन उधार लिया है; या

(iv) रियायत समझौते की शर्तों के अनुसरण में इसके तहत अपने सभी या लगभग सभी अधिकारों और दायित्वों को भारत सरकार को स्थानांतरित कर सकता है।

14. विवाद समाधान

14.1 बातचीत और सुलह

पक्षकार इस समझौते से, इसके संबंध में या इसके संदर्भ में उत्पन्न होने वाले पक्षकारों के बीच किसी भी विवाद, मतभेद, दावे, प्रश्न या विवाद ("**विवाद**") को बातचीत के माध्यम से आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने-अपने उचित प्रयास करेंगे।

14.2 मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) को संदर्भ

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अधीन, जिसमें निहित प्रावधानों के अनुसार विवादों पर न्यायनिर्णयन करने की भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की शक्ति और अधिकार क्षेत्र शामिल हैं, कोई भी विवाद जिसे पक्षकार किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाद के अस्तित्व की लिखित अधिसूचना के 60 (साठ) दिनों (या ऐसी लंबी अवधि जिस पर पक्षकार सहमत हों) के भीतर खंड 14.1 के अनुसार हल करने में असमर्थ रहते हैं, उसे (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और/या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अनुसार तथा अंकसिट्रल (UNCITRAL) नियमों के अनुसार अधिनियम के तहत नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा।

14.3 विविध

मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा। प्रत्येक पक्ष नियमों के अनुसार मध्यस्थता के खर्चों का भुगतान करेगा और लागतों के लिए अंतिम देनदारी मध्यस्थता पंचाट (आर्बिट्रल अवार्ड) की शर्तों के अनुसार होगी। कोई भी मध्यस्थ किसी भी पक्ष का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी या एजेंट, अथवा सलाहकार या वकील नहीं होगा या किसी भी तरह से पक्षकारों से संबंधित या निकटता से जुड़ा हुआ नहीं होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

14.4 निर्णय / पंचाट (अवार्ड)

इस अनुच्छेद 14 के अनुसरण में नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ अधिकरण का कोई भी निर्णय या पंचाट पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। पक्षकार किसी भी अपील या इस समझौते के तहत लिखित रूप में होंगे और या तो व्यक्तिगत रूप से वितरित किए जाएंगे या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे, जिसकी एक अतिरिक्त प्रति फैक्स (फैक्सिमिली) या ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।

16.2 पते

इस समझौते के तहत या इसके संबंध में किए जाने वाले या दिए जाने वाले किसी भी संचार या दस्तावेज़ के लिए प्रत्येक पक्ष की तामील का पता, उसका फैक्स नंबर और ई-मेल पता (और वह विभाग या अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके ध्यानार्थ संचार किया जाना है) नीचे निर्धारित किया गया है:

अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड: फैक्स नंबर: 0522 2438404 ई-मेल पता: cao.lucknowairport@adani.com ध्यानार्थ: मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी

भाविप्रा:

राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट नई दिल्ली - 110 003, भारत फैक्स: 011 24641088 ई-मेल पता: chairman@aai.aero ध्यानार्थ: अध्यक्ष

या कोई अन्य वैकल्पिक पता, फैक्स नंबर या विभाग अथवा अधिकारी जैसा कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को कम से कम 5 (पांच) कार्य दिवसों के नोटिस द्वारा अधिसूचित कर सकता है।

17. मानित सुपुर्दगी

इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए के अधीन, इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में किया गया कोई भी संचार प्राप्तकर्ता द्वारा (यदि फैक्स द्वारा भेजा गया हो) उस स्थान पर अगले कार्य दिवस को प्राप्त हुआ माना जाएगा जहाँ यह भेजा गया है या (किसी भी अन्य मामले में) जब खंड 16.2 के तहत आवश्यक पते पर छोड़ दिया गया हो या डाक शुल्क के पूर्व-भुगतान के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने और उस पते पर संबोधित किए जाने के 10 (दस) ऐसे कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। इन उद्देश्यों के लिए, कार्य दिवस शनिवार, रविवार और राजपत्रित छुट्टियों को छोड़कर अन्य दिन हैं। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, फैक्स या ई-मेल द्वारा नोटिस या संचार देने या करने वाला पक्ष तुरंत उसकी एक प्रति व्यक्तिगत रूप से वितरित करेगा, या उसे कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा ऐसे नोटिस या संचार के प्राप्तकर्ता को भेजेगा।

18. विविध

18.1 पृथक्करणीयता

यदि किसी भी कारण से, इस समझौते का कोई भी प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है या बन जाता है या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी भी न्यायालय या किसी अन्य संस्था द्वारा अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधानिकता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, और पक्षकार ऐसे अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध प्रावधानों के स्थान पर एक या अधिक प्रावधानों पर सहमत होने के उद्देश्य से सद्भावपूर्वक बातचीत करेंगे, जो ऐसे अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय प्रावधान के यथासंभव निकटतम हों। ऐसे किसी भी प्रावधान पर सहमत होने में विफलता अनुच्छेद 14 या अन्यथा के तहत विवाद समाधान के अधीन नहीं होगी।

18.2 सम्पूर्ण समझौता

यह समझौता, जिसमें इसकी कोई भी अनुसूची या प्रदर्श शामिल हैं, इस समझौते की विषय-वस्तु के संबंध में भाविप्रा और रियायतग्राही के बीच संपूर्ण समझौते को शामिल करता है और ऐसी विषय-वस्तु के संबंध में अन्य सभी समझौतों, चाहे लिखित हों या मौखिक, का स्थान लेता है।

18.3 शर्तों में परिवर्तन

इस समझौते में सभी जोड़, संशोधन, रूपांतरण और बदलाव केवल तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगे जब वे लिखित रूप में हों और पक्षकारों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

18.4 अधित्याग (छूट)

18.4.1 इस समझौते के किसी प्रावधान या दायित्वों के अनुपालन और निष्पादन में दूसरे पक्ष द्वारा की गई किसी चूक का किसी पक्ष द्वारा अधित्याग (छूट):

(i) इसकी किसी अन्य या बाद की चूक अथवा इस समझौते के तहत अन्य प्रावधानों या दायित्वों के अधित्याग के रूप में संचालित या व्याख्यायित नहीं होगा;

(ii) तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न किया गया हो; और

(iii) किसी भी तरह से इस समझौते की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा।

18.4.2 किसी भी अवसर पर किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौते के नियमों, शर्तों और प्रावधानों या इसके तहत किसी भी दायित्व के निष्पादन पर जोर देने में विफलता, और न ही किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई समय सीमा या अन्य रियायत को ऐसे उल्लंघन के अधित्याग या किसी भी परिवर्तन की स्वीकृति अथवा इसके तहत ऐसे किसी भी अधिकार के परित्याग के रूप में माना या समझा जाएगा।

18.5 अतिरिक्त दस्तावेज़ और कार्रवाइयां

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज़ निष्पादित करने और सौंपने, तथा ऐसी अतिरिक्त कार्रवाइयां करने और ऐसा सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत होता है, जो इस समझौते द्वारा परिकल्पित लेनदेन को पूरा करने और इसके आशय को प्रभावी बनाने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो।

18.11 समकक्ष प्रतियां (काउंटरपार्ट)

यह समझौता एक या अधिक समरूप प्रतियों (काउंटरपार्ट) में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक को मूल माना जाएगा और ये सभी मिलकर एक ही समझौता समझे जाएंगे।

18.12 समय की अनिवार्यता

इस समझौते में समय की अनिवार्यता होगी, चाहे वह इसमें उल्लिखित तिथियों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में हो, या ऐसी किसी भी तारीख, अवधि या दिन के समय के

संबंध में हो जिन्हें इस समझौते के अनुसार उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

18.13 समय की गणना

इस समझौते में संदर्भित समय भारतीय मानक समय (आईएसटी) के अनुसार है। इस समझौते के तहत निर्धारित या अनुमत समय की किसी भी अवधि की गणना करने में, उस कृत्य, घटना या चूक के दिन को शामिल किया जाएगा जिससे निर्धारित समय अवधि शुरू होती है। यदि इस प्रकार से गणना की गई अवधि का अंतिम दिन कोई कार्य दिवस नहीं है, तो वह अवधि अगले कार्य दिवस के अंत तक जारी रहेगी।

19. शासी कानून

इस समझौते का अर्थ और व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार की जाएगी और यह भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा, तथा नई दिल्ली स्थित न्यायालयों के पास इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित सभी मामलों पर क्षेत्राधिकार होगा।

20. भाविप्रा द्वारा प्रसंविदाएं (प्रतिबद्धताएं)

भाविप्रा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

(i) सहमत होता है कि, यदि इस समझौते या इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी लेन-देन के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में उसके या उसकी संपत्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है, तो उसके द्वारा या उसकी ओर से या उसकी संपत्तियों के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों से किसी भी उन्मुक्ति (इम्युनिटी) का दावा नहीं किया जाएगा;

(ii) किसी भी क्षेत्राधिकार में ऐसी किसी भी कार्यवाही में उसके विरुद्ध किसी भी निर्णय या पंचाट (अवार्ड) के प्रवर्तन के संबंध में, ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में किसी भी राहत देने या किसी भी प्रक्रिया को जारी करने के लिए सामान्य रूप से सहमति व्यक्त करता है (जिसमें किसी भी संपत्ति के विरुद्ध या उसके संबंध में, उसके उपयोग या अभिप्रेत उपयोग की परवाह किए बिना, ऐसे किसी भी निर्णय या पंचाट अथवा ऐसे किसी निर्णय या पंचाट से उत्पन्न होने वाले किसी भी आदेश को बनाना, लागू करना या निष्पादित करना शामिल है);

18.6 देर से भुगतान के लिए ब्याज

इस समझौते के अनुसार किसी पक्ष को विधिवत देय और भुगतान की देय तिथि के बाद बकाया रहने वाली किसी भी राशि पर ब्याज देय होगा (निर्णय से पहले और बाद दोनों समय), ऐसा ब्याज भुगतान की देय तिथि से लेकर उस राशि का पूर्ण भुगतान होने तक प्रतिदिन जमा होगा, जिसकी दर समय-समय पर प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक की प्राइम लैंडिंग दर/शुल्क से 2 (दो) प्रतिशत अंक अधिक होगी।

18.7 कोई भागीदारी (साझेदारी) नहीं

न तो यह समझौता, और न ही कोई अन्य समझौता या व्यवस्था जिसका यह एक हिस्सा है, और न ही ऐसे किसी समझौते या व्यवस्था के तहत पक्षकारों द्वारा अपने संबंधित दायित्वों का निष्पादन, पक्षकारों के बीच साझेदारी का गठन करेगा। किसी भी पक्ष के पास किसी अन्य पक्ष को अपने एजेंट के रूप में या अन्यथा बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा (जब तक कि इस समझौते के आधार पर या अन्यथा लिखित रूप में स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो और जिसे रद्द न किया गया हो)।

18.8 कोई तीसरा पक्ष लाभार्थी नहीं

यह समझौता केवल और विशेष रूप से इसके पक्षकारों के लाभ के लिए है और, इसके तहत ऋणदाताओं को स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए अधिकारों को छोड़कर, किसी तीसरे पक्ष के साथ संविदात्मक संबंध या उसके पक्ष में कार्रवाई का कारण (कॉज़ ऑफ़ एक्शन) उत्पन्न नहीं करेगा।

18.9 उत्तरजीविता (सर्वाइवल)

18.9.1 इस समझौते की समाप्ति:

(i) पक्षकारों को इसके तहत ऐसे किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से इसकी समाप्ति के बाद भी बने रहते (उत्तरजीवी रहते) हैं; और

(ii) इस समझौते के किसी भी प्रावधान में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर जो किसी भी पक्ष की देनदारी को स्पष्ट रूप से सीमित करता है, किसी भी पक्ष को ऐसी समाप्ति के प्रभावी होने से पहले ऐसे पक्ष के कृत्यों या लोपों के कारण या उससे उत्पन्न अथवा ऐसी समाप्ति से उत्पन्न होने वाले दूसरे पक्ष के नुकसान या क्षति के लिए किसी भी दायित्व या देनदारियों से मुक्त नहीं करेगी।

18.9.2 इस समझौते के रद्द होने, व्यपगत (समाप्त) होने या समाप्ति के बाद भी बने रहने वाले सभी दायित्व इस समझौते की ऐसी समाप्ति या समाप्ति की तारीख के बाद केवल 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए ही बने रहेंगे।

18.10 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती

यह समझौता पक्षकारों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों तथा अनुमत समनुदेशितियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए लागू होगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम लिखित तिथि को इस समझौते को निष्पादित किया है और सौंपा है।

भाविप्रा की ओर से हस्ताक्षरित:

(बरुण कुमार सरकार)

महाप्रबंधक (वायु यातायात प्रबंधन - वायु यातायात सेवाएं)
राजीव गांधी भवन
सफदरजंग एयरपोर्ट
नई दिल्ली - 110003

रियायतग्राही की ओर से हस्ताक्षरित:
अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

(परीक्षित कौल)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नेशनल काउंसिल ऑफ वाईएमसीए ऑफ इंडिया,
भारत युवक भवन
1, जय सिंह रोड
नई दिल्ली 110 001

साक्षी :

अनुसूची 1: भाविप्रा उपकरण और रियायतग्राही उपकरण

भाग 1: रियायतग्राही उपकरण

1. रनवे (धावन मार्ग)
2. रनवे प्रकाश व्यवस्था और अंकन (मार्किंग)
3. टैक्सीवे (टैक्सी मार्ग)
4. टैक्सीवे प्रकाश व्यवस्था और अंकन (मार्किंग)
5. संकेत चिह्न (साइनेज)
6. एप्रन (विमान पड़ाव क्षेत्र)
7. एप्रन प्रकाश व्यवस्था और अंकन (मार्किंग)
8. सुविधा
9. भाविप्रा उपकरणों से संबंधित सिविल कार्य (केवल नींव)
10. पीएपीआाई (PAPI) और एप्रोच (पहुंच) प्रकाश व्यवस्था
11. एयरोड्रोम बीकन (टावर पर)
12. लैंडिंग (उतरने के लिए) दिन और रात के अंकन (मार्किंग)
13. हवा की दिशा सूचक (प्रकाशित)
14. आइसोलेशन बे
15. द्वितीयक विद्युत आपूर्ति
16. वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) और हवाई अड्डा अग्निशमन दल के बीच हॉट लाइनें

17. क्रैश बेल (आपातकालीन घंटी), केबल बिछाना और सायरन
18. एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था के लिए नियंत्रण पैनल और निगरानी प्रणाली
19. दृश्य सहायता (विजुअल एड्स) का उन्नयन (भविष्य में)
20. हवाईअड्डा दिक्चालन सहायता/राडार स्थल के पहुंच मार्गों के अलावा परिचालन क्षेत्र के लिए पहुंच मार्ग।
21. दिक्चालन सहायता/राडार प्रतिष्ठानों के लिए भवन।
22. प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों के अनुसार संकेत क्षेत्र (सिग्नल एरिया)।
23. अंतिम संचार, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन विकास योजना के अनुसार आवश्यकतानुसार निर्मित नया वायु यातायात सेवाएं परिसर (जिसमें नियंत्रण टॉवर, तकनीकी ब्लॉक, स्थल पर और/या स्थल से बाहर दिक्चालन सहायता/राडार के लिए भवन शामिल होंगे)।

भाग 2: भाविप्रा उपकरण

भाविप्रा प्रस्तावित विमान संचालन के लिए प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों के अनुसार संचार, दिक्चालन, निगरानी/ वायु यातायात प्रबंधन सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक उपकरण प्राप्त करेगा और उपलब्ध कराएगा। ऐसे उपकरणों में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन ये सीमित नहीं होंगे:

1. सहायक उपकरणों के साथ वीएचएफ संचार सेट
2. डीवीओआर/डीएमई या एनडीबी
3. वॉयस रिकॉर्डर (ध्वनि रिकॉर्डर)
4. आईएलएस उपकरण एवं इसके सहायक उपकरण
5. राडार एवं इसके सहायक उपकरण
6. एडीएस-बी एवं इसके सहायक उपकरण
7. एएसएमजीसीएस एवं इसके सहायक उपकरण

अनुसूची 2: संचार, दिक्चालन, निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन सेवाएं

भाविप्रा ऐसे हवाई क्षेत्र की पार्श्व (लैटरल) और लंबवत (वर्टिकल) सीमाओं के भीतर हवाई क्षेत्र के विन्यास के अनुसार हवाईअड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा और उनका समन्वय करेगा:

1. एप्रन नियंत्रण सेवा को छोड़कर सतह संचलन नियंत्रण या ग्राउंड नियंत्रण सहित एयरोड्रोम नियंत्रण सेवा;
2. दृष्टिकोण (एप्रोच) नियंत्रण / दृष्टिकोण राडार नियंत्रण सेवा (यदि योजनाबद्ध हो);
3. क्षेत्र (एरिया) नियंत्रण / क्षेत्र राडार नियंत्रण सेवा (यदि योजनाबद्ध हो);

4. यथोचित संबद्ध सेवाएं जैसे वैमानिक मोबाइल सेवा (एएमएस), वैमानिक फिक्स्ड सेवाएं (एएफएस), वैमानिक सूचना सेवा (एआईएस), उड़ान सूचना सेवा, परामर्शदायी सेवा, सतर्कता सेवा और खोज एवं बचाव समन्वय सेवाएं;

यह सब प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों के अनुसार तथा प्रस्तावित विमान संचालन के लिए यथा आवश्यक होगा।

अनुसूची 3: कार्यालय और सुविधाएं

रियायतग्राही भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के लिए भाविप्रा और उसके कर्मियों तथा एजेंटों को निम्नलिखित कार्यालय स्थान और सुविधाएं उपलब्ध कराएगा (एयर-कंडीशनिंग (जिसमें आवश्यकतानुसार कंट्रोल टावर में पृथक एयर-कंडीशनिंग शामिल है), बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति और हाउस-कीपिंग के प्रावधान के साथ):

1. **कंट्रोल टावर**: रियायतग्राही 8250 वर्ग मीटर (जैसा लागू हो) का क्षेत्र, आवश्यकतानुसार विभिन्न एटीएस (ATS) इकाइयों को रखने के लिए तकनीकी ब्लॉक, दिक्चालन सहायता (Nav-Aids) और राडार भवन उपलब्ध कराएगा।
2. **कार्यालय**: रियायतग्राही 6056 वर्ग मीटर का क्षेत्र उपलब्ध कराएगा।
3. **कार पार्किंग**: रियायतग्राही भाविप्रा को उसके कर्मियों और एजेंटों के उपयोग के लिए हवाईअड्डे पर 10 कार पार्किंग स्थान उपलब्ध कराएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि एयर कंडीशनिंग का प्रावधान, बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति तथा हाउस-कीपिंग का प्रावधान रियायतग्राही द्वारा अपनी स्वयं की लागत और खर्च पर किया जाएगा।

अनुसूची 4: पृथक किए गए क्षेत्र (कार्व्ड आउट एरिया)

क्र. सं.	परिसंपत्ति	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (लगभग)
1.	एटीसी टावर (ATC Tower)	8,250 वर्ग मीटर (2.038 एकड़)
2.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)	19,600 वर्ग मीटर (4.843 एकड़)
3.	प्रशासनिक भवन (मौजूदा) भाविप्रा एवं डीजीसीए	6,056 वर्ग मीटर (1.496 एकड़)
4.	सीएनएस / एटीएम / कर्मचारी आवास के लिए भविष्य की भूमि आवश्यकता	35,525 वर्ग मीटर (8.778 एकड़)

क्र. सं.	परिसंपत्ति	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (लगभग)
	कुल	**69,431 वर्ग मीटर (17.156 एकड़)**

अनुसूची 5: मौजूदा उपकरणों की सूची :

1. आईएलएस कैट IIIबी
2. एलएलजेड मॉनिटर एंटीना
3. एएसआर
4. एमएमएसआर
5. डीवीओआर
6. जीपी
7. डीएमई
8. एफएफएम एंटीना
9. जीएआरपी

अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल द्वारा सोमवार, 5 अक्टूबर, 2020 को अडानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, वैष्णो देवी सर्कल के पास, एस. जी. हाईवे, खोडियार, अहमदाबाद - 382 421 में आयोजित अपनी बैठक में पारित संकल्प की प्रमाणित प्रति।

"**संकल्प लिया गया कि** चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे, लखनऊ में प्रदान की जाने वाली विभिन्न आरक्षित सेवाओं और की जाने वाली अन्य गतिविधियों के संबंध में भारत सरकार ("भारत सरकार") के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("भाविप्रा") के साथ सीएनएस/एटीएम समझौते में प्रवेश करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की सहमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

आगे यह संकल्प लिया गया कि कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नयन राव या श्री परीक्षित कौल को भारत सरकार और भाविप्रा के साथ कंपनी द्वारा सहमति के अनुसार समझौता ज्ञापन, सीएनएस/एटीएम समझौते के नियमों और शर्तों पर बातचीत करने, संशोधन करने, अंतिम रूप देने और स्वीकार करने के लिए अलग-अलग (पृथक रूप से) अधिकृत किया जाता है तथा समझौता ज्ञापन, सीएनएस/एटीएम समझौते और उससे संबंधित अन्य सभी आवश्यक समझौतों, विलेखों, दस्तावेजों, कागजातों आदि को निष्पादित करने और कंपनी की ओर से उससे संबंधित सभी आवश्यक कार्य, कृत्य और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

आगे यह संकल्प लिया गया कि यदि आवश्यक हो, तो कंपनी की सामान्य मुहर (कॉमन सील) को समझौतों, दस्तावेजों और/या किसी अन्य आवश्यक कागजात पर कंपनी के निदेशकों में से किसी एक या श्री बहनाद ज़ांदी या श्री जय अमीन या श्री आलोक पटनी या श्री नयन राव या श्री परीक्षित कौल, कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी एक की उपस्थिति में लगाया जाए, जो इसके प्रतीक के रूप में उस पर हस्ताक्षर करेंगे।

आगे यह संकल्प लिया गया कि कंपनी के निदेशकों में से किसी एक द्वारा सत्य प्रति के रूप में विधिवत प्रमाणित इस संकल्प की एक प्रति संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत की जाए और उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे इस अधिकार पत्र पर भरोसा करें।"

प्रमाणित सत्य प्रति
कृते, अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
(जीत अडानी)
निदेशक
(डीआईएन: 08556189)

*****